मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 1/2025

प्रभुदयाल | पुत्रगण काशीराम जाति बावरी निवासी चक 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा
सुन्दरपाल | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र गोविन्दराम जाति बावरी निवासी चक 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. इन्द्रा देवी पुत्री काशीराम पत्नी धनराज जाति बावरी निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कौशल्या पुत्री काशीराम पत्नी सोहनलाल जाति बावरी निवासी सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :– 29/01/2025

वादीगण की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री गौरव कुमार अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत किये गये इकबाल दावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – तहसील पीलीबंगा चक 24 पी.बी.एन. के वर्तमान खाता संख्या 16 के प.न. 22/336 (78) कि.न. 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/.215, 2/2/.038, 3/1/.215, 3/2/.038, 4/1/.215, 4/2/.038, 5/1/.215, 5/2/.038, 10/1/0.013, 11/1/0.013, 20/1/0.013, 21 से 25 व प.न. 23/.336 (77) कि.न. 4/1/.063, 4/2/.038, 5/1/.215, 5/2/.038 की कुल 2.923 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि को वादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन के आदेश पारित किये जाते है कि –

(क). वादी संख्या 1 प्रभुदयालः– चक 24 पी.बी.एन प.न. 22/.336 (78) कि.न. 1/1/.013, 10/1/0.013, 11/1/0.013, 20/1/0.013, 21 ता 25/1.265, प.न. 23/.336 (77)4/1/.050 कुल 1.367 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख). वादी संख्या 2 सुन्दरपालः–चक 24 पी.बी.एन प.न. 22/.336 (78) कि.न. 1/1/.202, 1/2/0.038 रास्ता, 2/1/.215, 2/2/0.038 रास्ता, [illegible].215, 3/2/0.038 रास्ता, 4/1/.215, 4/2/0.038 रास्ता, 5/1/.215, 5/[illegible]0.0[illegible] रास्ता प.न. 23/.336 (77) 4/1/0.013, 4/2/.038 रास्ता 5/1/.215 [illegible] कुल 1.556 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.30 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपपंजीयक सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.30 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested